Court No. - 34

Case :- WRIT - C No. - 7222 of 2018

Petitioner :- Mukul Agrawal
Respondent :- State Of U.P And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Ghan Shyam Maurya,Abhay Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Kunal Ravi Singh

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Hon'ble Shashi Kant,J.

1. Heard learned counsels for parties and perused the record.

2. Under the Statute, Appellate Authorities are supposed to decide the matter expeditiously, but it appears that authorities themselves are fixing dates of several months which is not the intention of Legislature since the Statute has been framed for public welfare and encouraging transparency. Therefore, authorities under Right to information Act, 2005 (hereinafter referred to as "Act, 2005") must decide the matters expeditiously.

3. Let appeal in question be finalized by authority concerned within 30 days from the date of production of a certified copy of this order.

4. With the aforesaid direction, the writ petition is disposed of.

Order Date :- 28.2.2018
PS

Scanned by CamScanner

आयोग को नही है कोर्ट की तरह तारीख लगाने का अधिकार

सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील है कि सूचना आयोग को कोर्ट न समझें। एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए साफ किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सिर्फ 30 दिन में सूचना देने का नियम है न कि डेट पर डेट लगाकर सुनवाई करने का।

ये आदेश न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति शशि कांत की बेंच ने याची मुकुल की रिट याचिका संख्या 7222 वर्ष 2018 में दिया।

सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील है कि सभी लोग आयोग में अपील दाखिल करते समय इस आदेश की प्रति संलग्न जरूर करें और आयोग को निर्देशित करे कि आयोग इस आदेश का पालन करते हुए 30 दिन में सूचना दिलवाए न कि तारीख पर तारीख लगाए ऐसा न करने पर आयोग के खिलाफ माननीय न्यायालय में इस आदेश का पालन करने के लिए अपील जरूर दाखिल करें, क्योंकि न्यायालय अपने आदेश से बाध्य होता है और तदनुसार कार्रवाई करने के लिए भी।

Scanned by CamScanner